

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 791/2024

अनवान : -

1. मांगीलाल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. हनुमान पुत्र महावीर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. मन्जु पुत्री महावीर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. गुडडी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार पल्लू तहसील पल्लू।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 414/403 की कुल 7.0440 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 105/105 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा मोटेर तहसील पल्लू तहसील रावतसर के खाता स0 333/555 की कुल 14.695 हैक्ट भूमि में से 349/3486 हिस्सा भूमि महावीर पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महावीर पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। महावीर पुत्र चुन्नीराम का देहान्त हो चुका है। उनकी फौतदगी के बाद पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार महावीर पुत्र चुन्नीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 जो की वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इन्होने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा मोटेर सम्वत 2075-78 खाता संख्या 333/555, रोही मौजा कानसर सम्वत 2071-74 खाता सं० 414/403, रोही मौजा असरजाना सम्वत 2075-78 खाता सं० 105/105, मृत्यु प्रमाण महावीर दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महावीर पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। महावीर पुत्र चुन्नीराम का देहान्त हो चुका है। उनकी फौतदगी के बाद पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार महावीर पुत्र चुन्नीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 जो की वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है इन्होने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं० 414/403 की कुल 7.0440 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं० 105/105 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा मोटेर तहसील पल्लु तहसील रावतसर के खाता सं० 333/555 की कुल 14.695 हैक्ट भूमि में से 349/3486 हिस्सा भूमि महावीर पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महावीर पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। महावीर पुत्र चुन्नीराम का देहान्त हो चुका है। उनकी फौतदगी के बाद पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार महावीर पुत्र चुन्नीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 जो की वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2

जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इन्होने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक महावीर के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 414/403 की कुल 7.0440 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 105/105 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि में महावीर पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा मोटेर तहसील पल्लु तहसील रावतसर के खाता स0 333/555 की कुल 14.695 हैक्ट भूमि में से 349/3486 हिस्सा भूमि में महावीर पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 791/2024

अनवान : -

1. मांगीलाल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. हनुमान पुत्र महावीर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. मन्जु पुत्री महावीर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. गुडडी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार पल्लू तहसील पल्लू।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 791 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 414/403 की कुल 7.0440 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 105/105 की कुल 2.4040 हैक्ट भूमि में महावीर पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा रोही मौजा मोटेर तहसील पल्लू तहसील रावतसर के खाता स0 333/555 की कुल 14.695 हैक्ट भूमि में से 349/3486 हिस्सा भूमि में महावीर पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर